



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ 30, 1938

No. 505]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ ASADHA 30, 1938

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 714(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (प्रयोगशाला सहायक), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (प्रयोगशाला सहायक), (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (प्रयोगशाला सहायक), (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में,-

(i) नियम 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

“(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, प्रयोगशाला सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।”

3. उक्त नियमों के अनुसूची में-

क) स्तम्भ 10 के अंतर्गत प्रविष्टि के पश्चात, प्रविष्टि “25 प्रतिशत “क्षेत्र सहायक” से पदोन्नति द्वारा” अंतः-स्थापित रखे जाएंगे।

ख) स्तम्भ 11 के अधीन मद सं. (1) में, “50 प्रतिशत” के स्थान पर “25 प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

[एफ.सं. 04/01/2014-सीएसजेड]

आर. दलवानी, सलाहकार

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 718(अ) तारीख 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2016

**G.S.R. 714(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment and Forest, the Zoological Survey of India (Laboratory Assistant), (Group ‘C’ post) Recruitment Rules 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Zoological Survey of India (Laboratory Assistant), (Group ‘C’ post) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Environment and Forest, the Zoological Survey of India, (Laboratory Assistant), (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely:-

“(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Laboratory Assistant, Group ‘C’ Post Recruitment Rules, 2013.”.

3. In the Schedule to the said rules,-

(a) after the entries under column 10, the entry “25% by promotion from Field Assistant” shall be inserted;

(b) under column 11, in item i), for percentage “50%”, the percentage “25%” shall be substituted.

[F. No. 04/01/2014-CSZ]

R. DALWANI, Advisor

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R.718 (E), dated the 31<sup>st</sup> October, 2013.